उत्तर प्रदेश शासन

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2

संख्या-04/2024/661/52-2-2024,

लखनऊ: दिनांक 12 मार्च,2024

शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड को अनावर्तक अनुदान मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-648/52-2-2024 दिनांक 12.03.2024 में उल्लिखित प्रस्तरों में में त्रुटिवश निम्न प्रस्तर छूट गया है:-

"उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2250-अन्य सामाजिक सेवायें-102-धार्मिक तथा पूर्त अक्षय निधि अधिनियमों का प्रशासन-05-उत्तर प्रदेश शिया/सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्डों को अनावर्तक अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) के नामे डाले जायेगा।"

2- अत: उक्त शासनादेश संख्या 648/52-2-2024 दिनांक 12.03.2024 में निम्नवत प्रस्तर 03 जोड़ा जा रहा है :_

"उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2250-अन्य सामाजिक सेवायें-102-धार्मिक तथा पूर्त अक्षय निधि अधिनियमों का प्रशासन-05-उत्तर प्रदेश शिया/सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्डों को अनावर्तक अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) के नामे डाले जायेगा।"

3- उक्त शासनादेश संख्या 648/52-2-2024 दिनांक 12.03.2024 को इस सीमा तक संशोधित समझा/पढा जाये, शेष निर्देश/शर्तें यथावत रहेंगी।

(शकील अहमद सिद्दीकी)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या: 04/2024/661(1)/52-2-2024-01(बजट)/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ।
5. वित्त/लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
9. नियोजन अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।